न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 144/2017

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. श्री भादरराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार साकिन 3 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.07.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 3 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1/.102, 2/.101, 3/.101 कुल 0.304 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न किया जाकर मौके पर मकान बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 2 एम. अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी को विधिवत तामिल होनें के पश्चात प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि भूमि का मौके पर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इस भूमि को रकबा राज किया जाता है, मुझे कोई एजराज नहीं है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किये जानें के कारण प्रकरण में पैरोकार राज की बहस को सुना गया बहस का मनन किया गया पत्रावली पत्रावली अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद दावी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 3 एम.एल. की मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1/.102, 2/.101, 3/.101 कुल 0.304 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर